उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं0– 47 – काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/14–13–काविनी/88 दिनांक 16 जनवरी, 2014

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर–I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषय:– कारपोरेशन कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने विषयक कारपोरेशन आदेश सं०–800–काविनी/पाकालि–29/2006–13–काविनी/1988 दिनांक 20.12.2006 सपठित आदेश सं०–320–काविनी–29/पाकालि/2008–13काविनी/88 दिनांक 03.04.2008 द्वार निर्गत आदेशों के प्रभाविता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने विषयक कृपया उपयुर्क्त सन्दर्भित आदेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो तत्काल प्रभाव अर्थात् दिनांक 20.12.2006 से लागू किए गए हैं।

2. उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुपालन में उपरोक्तानुसार दो वर्ष की बढ़ी हुई सेवावधि के सम्बन्ध में मूल नियम 56 (क) में संशोधन किए जाने विषयक शासन की अधिसूचना सं0 जी–2–605/दस–534(19)57 दिनांक 27.06.2002 एवं सेवानैवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–13/4/90का–1/2003 दिनांक 11.02.2003 तथा अधिसूचना सं0–जी–2–710/दस–2006–534 (19)57 दिनांक 19.04.2006 (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2–4 में दिए गए फण्डामेंटल रूल्स के नियम–56(क) और (क–1) में संशोधन विषयक) को उपर्युक्त आदेशों के अनुक्रम में, कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 320–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/08–13 काविनी/88 दिनांक 03.04.2008 द्वारा यथावत कारपोरेशन के सेवको के सन्दर्भ में प्रयोज्यता हेतु इस आशय से अंगीकृत किया गया कि 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई अधिवर्षता आयु के परिप्रेक्ष्य में समस्त सेवा सम्बन्धी/सेवानैवृत्तिक लाभ तदनुसार अनुमन्य होगें।

3. कारपोरेशन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि ऐसे कार्मिकगणों द्वारा जो उ0प्र0 शासन द्वारा अपने कार्मिको की अधिवर्षतावय 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने विषयक जारी की गयी अधिसूचना दिनांक 28.11.2001 के उपरान्त एवं कारपोरेशन में इसे लागू किये जाने की तिथि 20.12.2006 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं, अपने प्रत्यावेदन इस आशय से उ0प्र0 शासन तथा कारपोरेशन के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं कि कारपोरेशन के उपरोक्त सन्दर्भित आदेश स0 320–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/08 दिनांक 03.04.2008 द्वारा शासन की अधिसूचना यथावत् अंगीकृत की गयीं है, जिसके अनुसार कारपोरेशन के कार्मिकों की दो वर्ष बढ़ी हुई अधिवर्षता आयु के प्राविधान दिनांक 28.11.2001 से ही प्रभावी हैं। अतः उन्हें दिनांक 20.12.2006 से पूर्व 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किया जाना त्रुटिपूर्ण रहा है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करनें का निदेश हुआ है कि ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों की सेवानैवृत्तिक आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने की अनुमति उ0प्र0 शासन द्वारा दिये जाने के

(क्रमश:..............2)

के उपरान्त तत्सम्बन्धित आदेश सं0 800–काविनी/पाकालि–29/2006–13–काविनी/1988 दिनांक 20.12.2006 को निर्गत किये गये एवं तत्काल प्रभाव अर्थात् आदेश निर्गमन की तिथि 20.12.2006 से प्रभावी हैं। इस तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं है।

5. तदनुसार दो वर्ष बढ़ी हुई सेवावधि के सन्दर्भ में वित्तीय नियमों में संशोधन विषयक एवं सेवानैवृत्तिक लाभों के सन्दर्भ में उ0प्र0 शासन की अधिसूचनाओं को कारपोरेशन के कार्मिकों हेतु "व्यवस्था के रूप में" अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश सं0 320–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/08–13 काविनी/88 दिनांक 03.04.2008 निर्गत किया गया, जो सेवानैवृत्तिक आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने सम्बन्धी मूल आदेश सं0 800–काविनी/पाकालि–29/2006–13–काविनी/1988 दिनांक 20.12.2006 के अनुक्रम में उसी तिथि अर्थात् 20.12.2006 से ही प्रभावी है। इस तिथि से पूर्व इनकी कोई प्रयोज्यता नहीं है।

6. अस्तु, आपसे अनुरोध है कि इस सन्दर्भ में प्राप्त हुए/होने वाले व्यक्तिगत प्रत्यावेदनों को कृपया अपने स्तर से तदनुसार निस्तारित कराने का काष्ट करें ताकि किसी प्रकार के भ्रम अथवा असमंजस की स्थिति न रहे।

भवदीय

(जावेद अहमद) 16/1/14
संयुक्त सचिव(काविनी)

संख्या– 47 –(1) काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड महानगर, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
13. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(जावेद अहमद) 16/1/14
संयुक्त सचिव(काविनी)